न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर

उपस्थित: अरविन्द कुमार मिश्रा-II, एच०जे०एस०

सत्र परीक्षण संख्या-996 सन् 2026

उ०प्र० राज्य बनाम आशीष कुमार बिंद उर्फ डब्बू

मु०अ०सं०-59 सन् 2023
धारा-352, 307 भारतीय दण्ड संहिता।
थाना-जिगना, जिला-मीरजापुर।

<u>आरोप</u>

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा-II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्त आशीष कुमार बिंद उर्फ डब्बू को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 19.05.2023 को समय अदम तहरीर, बहदस्थान ग्राम नेगुरा बानसिंह, क्षेत्रान्तर्गत थाना जिगना, जिला मीरजापुर में आपने नर्तकी के नृत्य के दौरान गांव के कुछ व्यक्तियों को जान से मारने के आशय से असलहे से फायर किया, यदि इस असलहे के फायर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने नर्तकी के नृत्य के दौरान गांव के कुछ व्यक्तियों पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-352 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-05.05.2026 **(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)**
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No. UP6030

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक-05.05.2026 **(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)**
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No. UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर

सत्र परीक्षण संख्या-996 सन् 2026

उ०प्र० राज्य बनाम आशीष कुमार बिंद उर्फ डब्बू

मु०अ०सं०-59 सन् 2023
धारा-352, 307 भारतीय दण्ड संहिता।
थाना-जिगना, जिला-मीरजापुर।

दिनांक **05.05.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त आशीष कुमार बिंद उर्फ डब्बू व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्त आशीष कुमार बिंद उर्फ डब्बू के विरूद्ध धारा-352, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त आशीष कुमार बिंद उर्फ डब्बू के विरूद्ध धारा-352, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22.05.2026 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।